

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(14)एमई/ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 10 2 NOV 2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24खख के उपनियम-5 के अन्तर्गत गठित डीएसीपी (डायनेमिक एस्योर्ड केरियर प्रोगेशन स्कीम) स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर **जनरल मेडिसिन** विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को **वर्ष 2020-21** के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	पदोन्नति पद	पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. सुजाता अग्रवाल	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.04.2020
2.	डॉ. विजय कुमार तुदवाल	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.04.2020
3.	डॉ. परवेज खान समेजा	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.04.2020
4.	डॉ. श्याम लाल मीणा	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.04.2020

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.1(3)DOP/A-II/78 दिनांक 27.08.2020 के क्रम में पदोन्नत चिकित्सक शिक्षकों को उनकी पदोन्नति तिथि से नगद लाभ देय होगा।

आज्ञा से,

Wom
02.11.2020

(रमेश चन्द आर्य)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज।
8. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर

(शिवशंकर अग्रवाल)
शासन सहायक सचिव

